न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 68/2021

प्रार्थी
नाथुसिंह पुत्र भीमसिंह सोलंकी, जाति–राजपूत, निवासी–गोयली, तह. व जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण
(1) भरतसिंह पुत्र उदयसिंहजी, जाति–राजपूत, निवासी–गोयली, तह. व जिला सिरोही।
(2) ग्राम पंचायत, गोयली जरिये सरंपच, ग्राम पचायत, गोयली, तह. व जिला सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः
(1) अधिवक्ता श्री पी.एल. दवे, प्रार्थी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 04 दिसम्बर, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी नाथुसिंह पुत्र भीमसिंह सोलंकी, जाति– राजपूत, निवासी– गोयली द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा अप्रार्थी भरतसिंह पुत्र उदयसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– गोयली के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 28.3.2011 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 (भरतसिंह) की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत व श्री जयकिशन विश्नोई ने जरिये वकालतनामा उपस्थिति दी, परन्तु अप्रार्थी भरतसिंह के अधिवक्ता को इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी भरतसिंह की ओर से जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई बार अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नही करने से अप्रार्थी भरतसिंह का जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–2 (दो) को नोटिस की तामिल होने के बाद भी अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान कोई उपस्थित नही हुआ। प्रकरण में अप्रार्थी भरतसिंह की ओर से सुनवाई तिथि 03.11.2023 के बाद की सुनवाई तिथि पर अप्रार्थी संख्या–1 के अधिवक्ता उपस्थित नही होने से दिनांक 06.11.2023 को प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

(3) प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी का एक पुश्तैनी मकान ग्राम गोयली में सोलंकीवास मे आया हुआ है, जिसका नाप उत्तर में 74 फीट, दक्षिण में 74 फीट, पूर्व में 27 फीट व पश्चिम में 18 फीट कुल नाप 1950 वर्गफीट है एवं इसकी चतुर्दशी उत्तर दिशा में भवंरसिह पुत्र जयसिंहजी का मकान, दक्षिण दिशा में रास्ता, पूर्व दिशा में रास्ता जिसमे दरवाजा व पश्चिम दिशा में पानी निकासी गली व माधुसिह पुत्र दौलतसिहजी का मकान आया हुआ है। प्रार्थी का उपरोक्त पुश्तैनी मकान रणजीतसिहजी पुत्र साकंलसिहजी का था और रणजीतसिंहजी के 4 चार पुत्र व 1 एक पुत्री थी। जिनके पारिवारिक सजरा अनुसार रणजीतसिंह जी के पुत्र मोतीतसिंह, मदनसिंह, भीमसिंह उदयसिंह व एक पुत्री भंवर कुंवर थे, जिसमें से भीमसिंह के वारिसान उनकी पत्नि उम[illegible] नाथूसिंह (प्रार्थी) व अरविन्दसिंह है तथा उदयसिंह जी का पुत्र भरतसि[illegible] संख्या–1) है। यह कि पूर्व में रणजीतसिहजी के पुत्रो में [illegible] चुका है। रणजीतसिंहजी की सम्पति में दो बाड़े व एक पुश्तैनी मकान [illegible] जिसमे से एक बाड़ा मो[illegible]सिहजी को [illegible] पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:15:08 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

व एक बाडा मदनसिहजी को मिला तथा पुश्तैनी आवासीय मकान भीमसिहजी व उदयसिहजी के शामलाती रखा था। यह कि भीमसिंह जी जो कि जलदाय विभाग सिरोही में नौकरी करते थे और सिरोही में ही निवास करते थे तथा वार त्यौहार पर ही अपने घर गोयली जाते थे। भीमसिंह जी ने अपने सेवानिवृति मे मिले फण्ड से गांव में अन्य जगह भूखण्ड खरीद कर अपना मकान बनाया था और तब से अपने नये मकान में भी रहते थे व पुश्तैनी मकान में भी आते जाते रहते थे। यह कि पुश्तैनी मकान का आगे की पोल वाला हिस्सा जर्जर होने पर उदयसिंह जी ने कहा कि इसे नया बनवा लेते है, तब भीमसिहजी व उदयसिंह जी के परिवार ने मिलकर उक्त पोल वाला हिस्सा नया बनवाया तथा पोल के उपर के भाग में उदयसिंह जी के द्वारा अपने निवास हेतु भीमसिंह जी की सहमति से निर्माण कार्य करवाया था जो निगरानी प्रस्तुत करने के समय अधूरा तथा उपर से ढका हुआ नही था। यह कि भीमसिंह जी की मृत्यु दिनांक 21.4.2021 को होने के बाद पुश्तैनी मकान के दो कमरों मे पडे अपने सामान को सम्भालने हेतु प्रार्थी अपने पुश्तैनी मकान मे गया, तब अप्रार्थी भरतसिह ने प्रार्थी को घर के अन्दर घुसने नही दिया और झगडा फसाद किया तथा पट्टा संख्या 14 की छायाप्रति देकर कहा कि मैनें तो इस मकान का वर्ष 2011 में पट्टा बनवाया है, मै तो बडे जीसा के मृत्यु का इंतजार कर रहा था क्योकि उनका सामना नही कर सकता था। अब मैं इस मकान के आधे हिस्से को बेच दूगां तथा आधे भाग पर अपने लिये मकान बनावाऊंगा, तब प्रार्थी ने कहा की पुश्तैनी मकान का पटटा कैसे बना सकते हो, जबकि अन्दर हमारा समान भी पड़ा हुआ है तब अप्रार्थी भरतसिंह ने कहा कि अब सब भूल जाओ, ये मकान अब मेरा हो चुका है। जिस पर प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से प्रश्नगत पट्टा संख्या 14 की प्रमाणित प्रति व पत्रावली की नकल मांगी, तब ग्राम पंचायत ने बताया कि हमारें पास इस पट्टे के संबंध में कोई रेकर्ड नही है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, गोयली के तत्कालीन सरपंच व सचिव ने अप्रार्थी भरतसिंह से मेलमिलाप कर प्रार्थी की पुश्तैनी सम्पति को हडपने की नियत से अप्रार्थी भरतसिंह के पक्ष में ही कुटरचित पट्टा तैयार किया है, जो कानूनन गलत है। ग्राम पंचायत को संयुक्त पुश्तैनी सम्पति का पट्टा किसी एक व्यक्ति के पक्ष में जारी करने का कानूनन कोई अधिकार नही है। ग्राम पंचायत ने प्रार्थी व अप्रार्थी भरतसिंह के पुश्तैनी सम्पति का पट्टा केवल अप्रार्थी भरतसिंह के पक्ष में जारी किया है जो विधिसम्मत नही है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार कर ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा अप्रार्थी भरतसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 28.3.2011 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा अप्रार्थी भरतसिंह पुत्र उदयसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– गोयली के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1947 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 14 दिनांक 28.3.2011 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा :–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारी[illegible] पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने [illegible] रुपये (एक सौ रुपये)

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:15:08 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 200/– रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप–खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप–खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड़ (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षो के दौरान'' के स्थान पर अभिव्यक्ति 31.12.2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान'' प्रतिस्थापित की गई है।

प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफस् के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर पुराना आवासीय गृह बना हुआ है, परन्तु प्रार्थी पक्ष ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा अप्रार्थी भरतसिंह के पक्ष में जिस पुराने आवासीय गृह का विनियमितिकरण करते हुए पट्टा संख्या 14 दिनांक 28.3.2011 को जारी किया गया है वह आवासीय गृह प्रार्थी व अप्रार्थी भरतसिंह की संयुक्त पुश्तैनी सम्पति होकर बंटवाड में प्रार्थी के पिता भीमसिंह व अप्रार्थी भरतसिंह के पिता उदयसिंह जी के शामलाती रखा गया हो। चूंकि निगरानी आवेदन में अंकित कथनों का साबित करने का दायित्व प्रार्थी निगरानीकार का है, लेकिन प्रार्थी निगरानीकार, निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में मुख्यतः विवाद सम्पति के स्वामित्व का है एवं सम्पति के स्वामित्व के बिन्दु को तय करने का अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को ही है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार हस्तगत निगरानी आवेदन सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:15:08 IST
Reason: SelfAttested